न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

ललबिहारी सिंह बनाम् अबिलास सिंह
अर्जेन्ट वाद सं0– 12/2023

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
12/5/023	अभिलेख उपस्थापित। वाद की कार्रवाही अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 71 दिनांक 14.02.2023 के आधार पर प्रकिया प्रारम्भ की गई है।	

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
चुटिया	190	596	0.14 ए0	पचु सिह	चरकु माझी	नीज प्र0प0	नीज प्र0प0
		600	0.25 ए0	गुदरी सिह	गुदरी सिह	गुदरी सिंह	हरिचरण महतो

प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद में वर्णित भूमि जो ग्राम चुटिया के खाता सं0– 190 प्लॉट सं0– 596 में रकबा 0.14 ए0 तथा प्लॉट सं0– 600 रकबा– 0.25 ए0 है का पुराना प्लॉट के अनुसार से भी ऑफलाईन मांग पंजी के पृष्ट सं0– 20/11 पर सजन सिंह के नामें चलते आया है। पुराना प्लॉट सं0– 104, 176 था। हाल सर्वे में यह भूमि जो खाता 190 की है सजन सिंह व इनके भाईयों के नामें खाता है। ऑफलाईन मांग पृष्ट सं0– 188/1 पर इनके नामें दर्ज है। दोनों प्रश्पगत प्लॉट 596 रकबा– 0.14 ए0 का अंचल के द्वारा प्रथम पक्ष का सीमांकन वाद सं0– 121/2021–22 द्वारा तथा प्लॉट सं0– 600 रकबा– 0.25 ए0 का सीमांकन वाद सं0– 119/2021–22 द्वारा हुआ है। खतियानी रैयत सजन सिंह के पुत्र प्रथम पक्ष 1 लालबिहारी सिंह एवं खतियानी रैयत भजन सिंह के घर के घर दमाद प्रथम पक्ष क0– 2 पूनु सिंह है। द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन यह जमीन लुटने एवं कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। वास्तविक रूप में इस भूमि के स्वामी प्रथम पक्ष गण है।

वाद की कार्रवाई मे द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नही किया गया है। न ही भूमि के स्वामित्व के कोई प्रमाण न्यायालय में दाखिल किया गया है। अचल अधिकारी के पत्रांक 71 दिनांक 14.02.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन भेजा गया है। जिसमें प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे के अनुसार राजन सिंह वो औतार सिंह वो भजन सिंह व रामअवध सिंह वो सोवरा सिंह व गणेश सिंह के नामें खाता सं0– 190 के अन्तर्गत है बताया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा भू–दान पर्चा गुदरी सिंह के नामें दिखाया गया मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली के आधार पर द्वितीय पक्ष गुदरी सिंह के वंशज है। प्रतिवेदन समर्पित कर कार्यवाई हेतु लिखा गया था। जिस पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत की गई है। अध्ययन के पश्चात स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज की यह खतियानी भूमि है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। ऐसा एक आवेदन दाखिल कर प्रथम पक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाद में वर्णित भूमि प्रथमपक्षकारों की स्वामित्व की भूमि है। वाद की समय सीमा 60 दिन पूर्ण हो गई है। इस आधार पर इस वाद की कार्रवाई आज समाप्त की जाती है।

12.5.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:13:05 +05:30
Location: 10.93.21.244